संख्या-158 /2024/ 3474 /26-3-2024/C.N.- 1741061

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उ0प्र लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2024

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु संशोधित समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2851/स0क0/शिक्षा-अ/4/5/2024-25 दिनांक 19.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो हेतु समय-सारिणी का संशोधित शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-84/2024/1832/26-3-2024/C.No-1741061 दिनांक 28-06-2024 द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन सहित अन्य समस्त कार्यवाही आदि हेतु समय-सारिणी जारी की गयी है।

3- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने शासनादेश दिनांक 07-11-2024 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत द्वितीय चरण हेतु संशोधित समय सारिणी निर्गत की गयी है।

4- उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग छात्रों के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	**<u>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना</u>** प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग / विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना । वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय / शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी / नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना । मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यकमवार कुल सीटों की संख्या,सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को	31 दिसम्बर, 2024 तक

	अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना ।	
2	**<u>विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी / जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन</u>** प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना ।	06 जनवरी, 2025 तक
3	**<u>जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन</u>** प्रदेश के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यकम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना ।	10 जनवरी, 2025 तक
	छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन / भुगतान आदि की प्रकिया	
4	**छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन करना**	11 जनवरी, 2025 तक
5	**<u>छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन</u>** छात्र / छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना ।	15 जनवरी, 2025 तक
6	**<u>छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना</u>** छात्र / छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन फाइनल सब्मिशन किया जाना ।	17 जनवरी, 2025 तक
7	**<u>शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना</u>** छात्र / छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	23 जनवरी, 2025 तक
8	**<u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</u>** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना ।	10 दिसम्बर, 2024 से 05 मार्च, 2025 तक
9	**पी०एफ०एम०एस० पर छात्रों का वैलिडेशन**	02 दिसम्बर, 2024 से 25 फरवरी, 2025 तक
	प्रथम चरण	
10	**<u>छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन</u>** छात्र / छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	18 नवम्बर, 2024 तक
11	**<u>शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना</u>** छात्र/ छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र / छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना ।	30 नवम्बर, 2024 तक
12	**<u>विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी / जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना</u>** जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं	02 दिसम्बर, 2024 से 09 दिसम्बर, 2024 तक

	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना । अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना ।	
13	**विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना**	30 नवम्बर, 2024 तक
14	**एन0आई0सी0 द्वारा स्क्रूटनी** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना ।	02 दिसम्बर, 2024 से 09 दिसम्बर, 2024 तक
15	**जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना ।	10 दिसम्बर, 2024 से 23 दिसम्बर, 2024 तक
16	**मांग सृजन** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	26 दिसम्बर, 2024 तक
17	**धनराशि का अन्तरण** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना।	02 जनवरी, 2025 तक
	द्वितीय चरण	
18	**छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन** छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना ।	15 जनवरी, 2025 तक
19	**हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना** आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र / छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना ।	18 जनवरी, 2025 तक
20	**शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना** छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र / छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना ।	25 जनवरी, 2025 तक
21	**विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी / जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना** जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं	27 जनवरी, 2025 से 20 फरवरी, 2025 तक

	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	
22	**विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना**	10 फरवरी, 2025 तक
23	**<u>एन०आई०सी० द्वारा स्क्रूटनी</u>** PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	27 जनवरी, 2025 से 04 फरवरी, 2025 तक
24	**<u>त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना</u>** छात्र / छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना ।	05 फरवरी, 2025 से 10 फरवरी, 2025 तक
25	**<u>छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना</u>** शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	13 फरवरी, 2025 तक
26	**<u>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्क्रूटनी</u>** छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन०आई०सी० की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना ।	14 फरवरी, 2025 से 18 फरवरी, 2025 तक
27	**<u>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</u>** जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना ।	05 मार्च, 2025 तक
28	**<u>मांग सृजन</u>** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई०सी० की राज्य इकाई से माँग सृजित कराना ।	10 मार्च, 2025 तक
29	**<u>धनराशि का अन्तरण</u>** जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड / एन०पी०सी०आई० से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना ।	20 मार्च, 2025 तक

5- नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ - साथ पूर्व में वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र 2024 - 25 हेतु सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना निर्गत समय-सारिणी शासनादेश दिनांक 28-06-2024 में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत की जायेगी।

6- प्रथम चरण में विभिन्न हितधारकों के स्तर से लम्बित अवशेष पात्र छात्रों को द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जायेगा।

7- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी सामान्य वर्ग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यो का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by
Rajani Kant Pandey
Date: 28-11-2024 11:27:30

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

पृ0सं0 एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।